26-05-18

राज्य द्वारा एडीपीओ। अभियुक्त सहित अधिवक्ता श्री एम०एस० यादव। फरियादी मोहरश्री स्वयं उपस्थित। प्रकरण में मीडियेशन रिपोर्ट सफलता की टीप सहित प्रस्तुत।

उभयपक्षों की ओर से प्रकरण निरंतर लोक अदालत में रखे जाने का निवेदन किया। अतः प्रकरण लोक अदालत में रखा गया।

फरियादी की ओर से एक राजीनामा आवेदन पत्र, अतर्गत धारा 320 द0प्र0स0 राजीनामा हेत् अनुमति बाबत् मय राजीनामा हेत् अनुमति आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 320–2 मय लोक अदालत डॉकेट फरियादी के अंगूठा निशानी युक्त, पहचान संबंधी दस्तावेज की छायाप्रति सहित प्रस्तुत किया गया। फरियादी की पहचान अधिवक्ता श्री एस०एस० तोमर एव अभियुक्त की पहचान अधिवक्ता श्री एम0एस0 यादव द्वारा की गई।

उभयपक्षों को सुना प्रकरण का अवलोकन किया।

फेरियादी ने अभियुक्त से राजीनामा बिना किसी भय, दवाब, लोभ-लालच के पारस्परिक संबंधों को मधुर रखने के आशय से किया जाना प्रकट किया है। अभियुक्त पर भा०द०वि० की धारा २९४, ३२३ के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है जिसमे से धारा 294, न्यायालय की अनुमति से शमनीय है जबकि शेष स्वयं फरियादी द्वारा शमनीय है। पक्षकारों के मध्र संबंध रखने के आशय एवं सामाजिक शांति बनाये रखने के आपराधिक प्रशासन के उददेश्य को ध्यान मे रखते हुये राजीनामा अनुमति आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित दर्शित होता है।

अतः राजीनामा बाद तस्दीक मय आवेदन पत्र के स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त को धारा 294, 323 भा०द०वि० के अपराध आरोपों से राजीनामा के आधार पर उपशमन की अनुमति प्रदान की जाती है जिसका प्रभाव अभियुक्त की ्रात है।

्रात है।

्रात है।

्रात है।

(A.K.Gupta)

Judicial Magistrate First Class
Gohad distt.Bhind (M.P.) दोषमुक्ति होगा। अभियुक्त जमानत व बंधपत्र भारमुक्त किए जाते है।

प्रकरण मे कोई संपत्ति जब्त नहीं। 🔊

प्रकरण का परिणाम सुसंगत अभिलेख में दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार में प्रेषित हो।